दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आ.प्र.अ.(मू.प.) 77/2023 और सि.वि.आ. 34242/2023

सम्यक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड .....अपीलार्थी

द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक कोहली के साथ सुश्री नीतिका बजाज, श्री सिद्धांत पुरी और सुश्री भव्या भाटिया, अधिवक्तागण

बनाम

अंसल हाऊसिंग लिमिटेड ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री विकास तिवारी, श्री कुमार दीपराज और सुश्री आरुषि राठौर, अधिवक्तागण

निर्णय की तारीखः 14 मई, 2024

कोरमः
माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
माननीय सुश्री न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय</u>

<u>श्री मनमोहन, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (मौखिक)</u>

1. वर्तमान अपील दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 10 के तहत दायर की गई है जिसमें सि.वा.(मू.प.) सं.497/2018 में विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के आदेश ('आक्षेपित आदेश') को, परिसीमा के मुद्दे पर न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष के विस्तार तक चुनौती दी गई है।

2. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान अपील में अपीलकर्ता ने एकल न्यायाधीश के पैराग्राफ 29 से 38 में दिए गए निष्कर्षों को चुनौती दी है जो परिसीमा के मुद्दे से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश ने बचाव के लिए अनुमति देने के इस चरण में परिसीमा के मुद्दे पर अंतिम रूप से निर्णय लेने में गलती की है, जबकि वर्तमान मामले में परिसीमा का मुद्दा तथ्य और कानून का मुद्दा है। उन्होंने वर्तमान अपील में सीमित राहत के लिए प्रार्थना की है कि परिसीमा के मुद्दे को खुला छोड़ दिया जाए और अंतिम चरण यानी प्रत्यर्थी द्वारा दायर मुकदमे के विचारण के बाद इसका निर्णय लिया जाए।

3. उन्होंने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26 अक्टूबर, 2015 के फॉर्म-16ए (टीडीएस ट्रेसेस) ('टीडीएस प्रमाणपत्र') पर भरोसा करके गलत निष्कर्ष निकाला कि इसमें दर्शाया गया टीडीएस का भुगतान प्रश्नगत लेनदेन से संबंधित है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रमाणपत्र में अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में ब्याज हेतु पांच स्वतंत्र जमा राशियों को दर्शाया गया है, हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे हैं कि यह यहां पक्षों के बीच हुए कई

लेनदेन के संबंध में हो सकता है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि इस प्रमाण-पत्र में दर्शाए गए पांचों लेनदेन में से कोई भी 20 अप्रैल, 2013 के रद्दकरण विलेख से उत्पन्न लेनदेन से संबंधित है।

4. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बचाव की अनुमति मांगने वाले अपने आवेदन में अपीलकर्ता ने न तो दलील दी है और न ही पक्षों के बीच अन्य स्वतंत्र लेन-देन का ब्यौरा दिया है जिसके लिए 26 अक्टूबर, 2015 के प्रमाण-पत्र में दर्शाए अनुसार ब्याज के रूप में भुगतान प्रत्यर्थी को किया गया था।

5. अपीलकर्ता द्वारा कोई अन्य आधार नहीं मांगा गया था।

6. जवाब में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बचाव के अनुमति हेतु आवेदन पर भरोसा किया है और कहा है कि अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील के आधार में उल्लिखित दलीलों को नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि बचाव के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन में अपीलकर्ता ने पक्षों के बीच कथित स्वतंत्र लेन-देन का कोई विवरण नहीं दिया है या प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे ब्याज के उक्त भुगतान संबंधित हैं।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. वर्तमान अपील में उठाए गए सीमित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक तथ्य नीचे दिए गए हैं।

9. प्रत्यर्थी ने सि.प्र.सं. के आदेश XXXVII के तहत अपीलकर्ता से पूरी राशि वसूल होने तक 11,79,83,525/- रुपये के साथ-साथ बकाया राशि और भविष्य के ब्याज की वसूली की मांग करते हुए यह मुकदमा सुस्थापित किया है। यह वाद 20 अप्रैल, 2013 के रद्दकरण विलेख के आधार पर दायर किया गया है जिसके तहत अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी को 24% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 12 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का वचन दिया था। शिकायत में कहा गया है कि रद्दकरण विलेख की शर्तों के अनुसार अपीलकर्ता को 31 दिसंबर, 2013 को या उससे पहले प्रत्यर्थी के प्रति अपनी पूरी देनदारी चुकाने की बाध्यता थी। आगे कहा गया है कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर पुनर्भुगतान का समय 31 मार्च, 2015 तक बढ़ा दिया गया था। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता नियमित रूप से अर्जित ब्याज पर 10% की दर से टीडीएस काट रहा था और उसे सरकार के खाते में जमा कर रहा था। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता ने 27 मार्च, 2015 को 'लेखागत अदायगी' भुगतान के रूप में 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता ने अंतिम रूप से 30 सितंबर, 2015 को 13,96,886/- रुपये की टीडीएस राशि जमा की लेकिन ब्याज के लिए भुगतान नहीं किया; और इस लेन-देन के समर्थन में 26 अक्टूबर, 2015 के टीडीएस प्रमाण-पत्र पर भरोसा किया।

10. अपीलकर्ता ने बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति मांगने वाले अपने आवेदन में आपत्ति जताई कि वाद इस तर्क पर परिसीमा द्वारा वर्जित है कि प्रत्यर्थी को अंतिम 'लेखागत अदायगी' भुगतान 27 मार्च, 2015 को किया गया था, जबकि अंतर्निहित वाद 20 सितंबर, 2018 को दायर किया गया है। यह कहा गया कि 30 सितंबर, 2015 को टीडीएस जमा करना, जैसा कि टीडीएस प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है, दायित्व की स्वीकृति नहीं है और इस प्रकार, परिसीमा अधिनियम, 1963 ('1963 का अधिनियम') की धारा 19 के तहत परिसीमा की अवधि को नहीं बढ़ाएगा।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में अपीलकर्ता को बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति प्रदान की, हालाँकि, समय-सीमा के मुद्दे के संबंध में, न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है तथा निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया:

<u>क्या वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है</u>

> *"29. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया है कि चूंकि वादी का मामला यह है कि रद्दकरण विलेख के विरुद्ध किया गया अंतिम भुगतान वादी को प्रतिवादी से 27.03.2015 को प्राप्त हुआ था, वर्तमान वाद दिनांक 20.09.2018 को दायर किया गया है, इसलिए यह परिसीमा से वर्जित है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.09.2015 को टीडीएस जमा करने के तथ्य मात्र से परिसीमा की अवधि नहीं बढ़ेगी।*

30. उपरोक्त दलील को वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कहते हुए चुनौती दी है कि जमा किया गया टीडीएस वादी के खाते में है और इसलिए, इससे परिसीमा अवधि बढ़ जाएगी।

31. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 19 निम्नानुसार हैः

> *"19. ऋण या विरासत पर ब्याज के भुगतान का प्रभाव।–जहां ऋण या विरासत पर ब्याज के कारण भुगतान ऋण या विरासत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या उसके द्वारा इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया जाता है, वहां परिसीमा की नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब भुगतान किया गया था: बशर्ते कि, 1 जनवरी, 1928 से पहले किए गए ब्याज के भुगतान के मामले को छोड़कर, भुगतान की पावती भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्तलेख में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेख में दिखाई देगी।*

32. उपरोक्त प्रावधान को लागू करने और उसका लाभ लेने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि:-

(क) प्रतिवादी द्वारा ऋण का भुगतान निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया गया था; 1

(ख) भुगतान की स्वीकृति लिखित रूप में या तो भुगतानकर्ता के हस्तलेख में या भुगतानकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किसी शर्त के द्वारा की गई थी।

33. आयकर अधिनियम की धारा 194क के अनुसार, किसी अन्य को ब्याज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को, ऐसी आय को आदाता के खाते में जमा करते समय या नकद में या चेक अथवा ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, उस पर लागू दर से आयकर काटना होगा। धारा 194क (1) के स्पष्टीकरण में यह भी

प्रावधान है कि जहां ब्याज के रूप में कोई आय ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की खाता बहियों में किसी खाते में जमा की जाती है, वहां ऐसी जमा राशि को आदाता के खाते में ऐसी आय का क्रेडिट भी माना जाएगा जिससे ऐसा व्यक्ति टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी होगा।

34. आयकर अधिनियम की धारा 198 में आगे यह प्रावधान है कि करदाता की आय की गणना के प्रयोजन के लिए कटौती की गई सभी राशियां करदाता द्वारा प्राप्त आय मानी जाएंगी।

*35. **बारानगर जूट फैक्ट्री पीएलसी मजदूर संघ (बीएमएस)** (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि टीडीएस के रूप में जमा की गई राशि भी उस मुआवजे के स्वरूप की है जो उक्त मामले में एनएचएआई द्वारा देय थी।*

36. वर्तमान मामले में, चूंकि टीडीएस दिनांक 30.09.2015 को जमा किया गया था इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 198 के अनुसार इसे वादी द्वारा प्राप्त आय माना जाएगा। रद्दकरण विलेख के विरुद्ध किया जा रहा उक्त भुगतान, जिसे प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, परिसीमा अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में, परिसीमा की अवधि का विस्तार करेगा। प्रतिवादी द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना परिसीमा अधिनियम की धारा 19 की दूसरी शर्त को पूरा करेगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।

*37. **मेसर्स यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड** (पूर्वोक्त) में न्यायालय ने माना कि टीडीएस की कटौती देयता की स्वीकृति नहीं है। **एक्टल** (पूर्वोक्त) और **एस.पी. ब्रदर्स** (पूर्वोक्त) में भी यही अनुपात था। हालांकि, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे। हालांकि टीडीएस जमा करना प्रतिवादी द्वारा ऋण की स्वीकृति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, यह वादी के कारण और ऋण के कारण प्रतिवादी द्वारा किया गया भुगतान है, जिससे टीडीएस जमा करने की तिथि से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी।*

38. इसलिए, इस वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता।"

12. वर्तमान अपील में अपीलकर्ता ने टीडीएस जमा करने के प्रभाव के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लौटाए गए विधिक निष्कर्षों पर विवाद नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप टीडीएस जमा करने की तिथि से एक नई परिसीमा अवधि हो जाती है जैसा कि 1963 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत परिकल्पित है।

13. इसके बजाय, अपीलकर्ता ने इस मुद्दे के संबंध में तथ्य का विवाद उठाने की मांग की है कि क्या टीडीएस प्रमाणपत्र में दर्शाए गए 30 सितंबर, 2015 के 13,96,886/- रुपये का लेनदेन रद्दकरण विलेख से उत्पन्न लेनदेन से संबंधित है या नहीं। अपीलकर्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि 13,96,886/- रुपये का उक्त भुगतान पक्षों के बीच लेनदेन से संबंधित है। हम अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि बचाव की अनुमति मांगने वाले आवेदन में अपीलकर्ता की दलीलों में इसका कोई आधार नहीं है। चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष ऐसी कोई दलील नहीं उठाई गई थी, इसलिए टीडीएस प्रमाण-पत्र के आधार पर आक्षेपित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद तथ्य और कानून दोनों के अनुरूप है।

14. इसलिए हम अपीलकर्ता की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि परिसीमा के मुद्दे को अंतिम निपटान के समय न्यायनिर्णयन के लिए छोड़ा जाना चाहिए।

15. तदनुसार वर्तमान अपील को लंबित आवेदनों के साथ खारिज किया जाता है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील खारिज होने का प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपित आदेश के खिलाफ दायर आ.प्र.अ.(मू.प.) 85/2023 पर कोई असर नहीं पड़ता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

14 मई, 2024/एचपी/एमएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*